भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

२००००

रुपये

Rs 20000

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000

03CC 305989

<u>विक्रय विलेख</u>

विक्रय मूल्य : रू0 2,44,071/–
बाजारू मूल्य : रू0 1,43,000/–
स्टाम्प शुल्क : रू0 24,500/–
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख राम दयाल पुत्र श्री लछिमन निवासी–ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगेविक्रेताकहा गया है, एवम् अन्साल

ANSAL [illegible] LTD.

18, Rana [illegible] Marg, Lucknow

(6) (90)

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 28.10.04

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उप कोषाधिकारी

43024-4011

4906-4524941

[illegible]

[illegible] 21.10.04

[illegible]

[illegible] ग्राम [illegible] स्थित 12 मौजा [illegible]

[illegible]

कार्यालय उप निबन्धक

सत्यमेव जयते

लखनऊ

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (प्रा0) लिमिटेड, द्वारा उप प्रबन्धक परियोजना श्री कौशलेन्द्र किशोर सिंह पुत्र श्री गहेन्द्र सिंह, कार्यालय–भूतल वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ,जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागुपि सत्यापित षटवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 95 के खसरा संख्या–117, रकबा 0.046 हेक्टेअर, खसरा सं0 119 रकबा 0.038 हेक्टेअर, खसरा सं0 304 रकबा 0.276 हेक्टेअर, व

[illegible], लखनऊ

[illegible] 23-11-04

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय उप निबन्धक [illegible] लखनऊ

सत्यमेव जयते

[illegible] : [illegible] सिद्ध [illegible]

उप निबन्धक [illegible]

[illegible]

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

खसरा संख्या-224 रकबा 0.419 हेक्टेअर कुल चार किता व कुल रकबा 0.779 हेक्टेअर का 1/6 भाग यानि 0.130 हेक्टेअर स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बघियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला- लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित कत्वाधिक खाता खतौनी क्रम संख्या 95 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेताओं नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेताअपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेताउपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है

1000Rs

एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतायह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेताने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेताके अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेताको उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव

1000Rs.

उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 2,44,071/- (दो लाख चौवालिस हजार इकहत्तर रुपया मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेताकी इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेताउक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कलाई बेच दिया है, एवं विक्रेताने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को कब्जा करा दिया गया है। अब उक्त आराजी

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेताने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेताके स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, बिलेवायी फल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, क्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम यूसुफनगर उर्फ बनियाखेड़ा, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.130 हेक्टेअर की मालियत रू0 1,43,000/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

24,500/- बगरज स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

100Rs

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–117, रकबा 0.046 हेक्टेअर, खसरा सं0 119 रकबा 0.038 हेक्टेअर, खसरा सं0 304 रकबा 0.276 हेक्टेअर, व खसरा संख्या–324 रकबा 0.419 हेक्टेअर कुल चार किता व कुल रकबा 0.779 हेक्टेअर का 1/6 भाग यानि 0.130 हेक्टेअर स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला– लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 117

पूरब : खसरा संख्या–119, 120

पश्चिम : खसरा संख्या–116

उत्तर : खसरा संख्या–118

दक्षिण : खसरा संख्या–121

<u>खसरा न0 119</u>

पूरब : नहर

पश्चिम : खसरा संख्या–117

उत्तर : नहर

दक्षिण : खसरा संख्या–120

<u>खसरा न0 304</u>

पूरब : खसरा संख्या–306

पश्चिम : खसरा संख्या–299

उत्तर : खसरा संख्या–303

दक्षिण : खसरा संख्या–305

<u>खसरा न0 324</u>

पूरब : सीमा ग्राम कन्जहरा तहसील मोहनलाल गंज

पश्चिम : खसरा संख्या–352

उत्तर : खसरा संख्या–322

दक्षिण : सीमा ग्राम हसनपुर खेवली

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल रू0 2,44,071/- (दो लाख चौवालिस हजार इकहत्तर रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से नगद प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतास्वीकार करता है।

लखनऊ
दिनांक- 02.12.2004

गवाह

1\. [illegible]

विक्रेता

2\. [illegible]

क्रेता

मसविदाकर्ता

(उमा शंकर पाण्डेय)

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

नक्शा नज़री

ग्राम :- मुजफ्फराबाद उर्फ नवीनगर

खसरा नं. :- १२७, ११९, ३०४, ३२८

ब्लॉक :- [illegible]

जिला :- गाजियाबाद

विद्युत स्टेशन के समीप स्थित संबंधित संस्थानों का विवरण

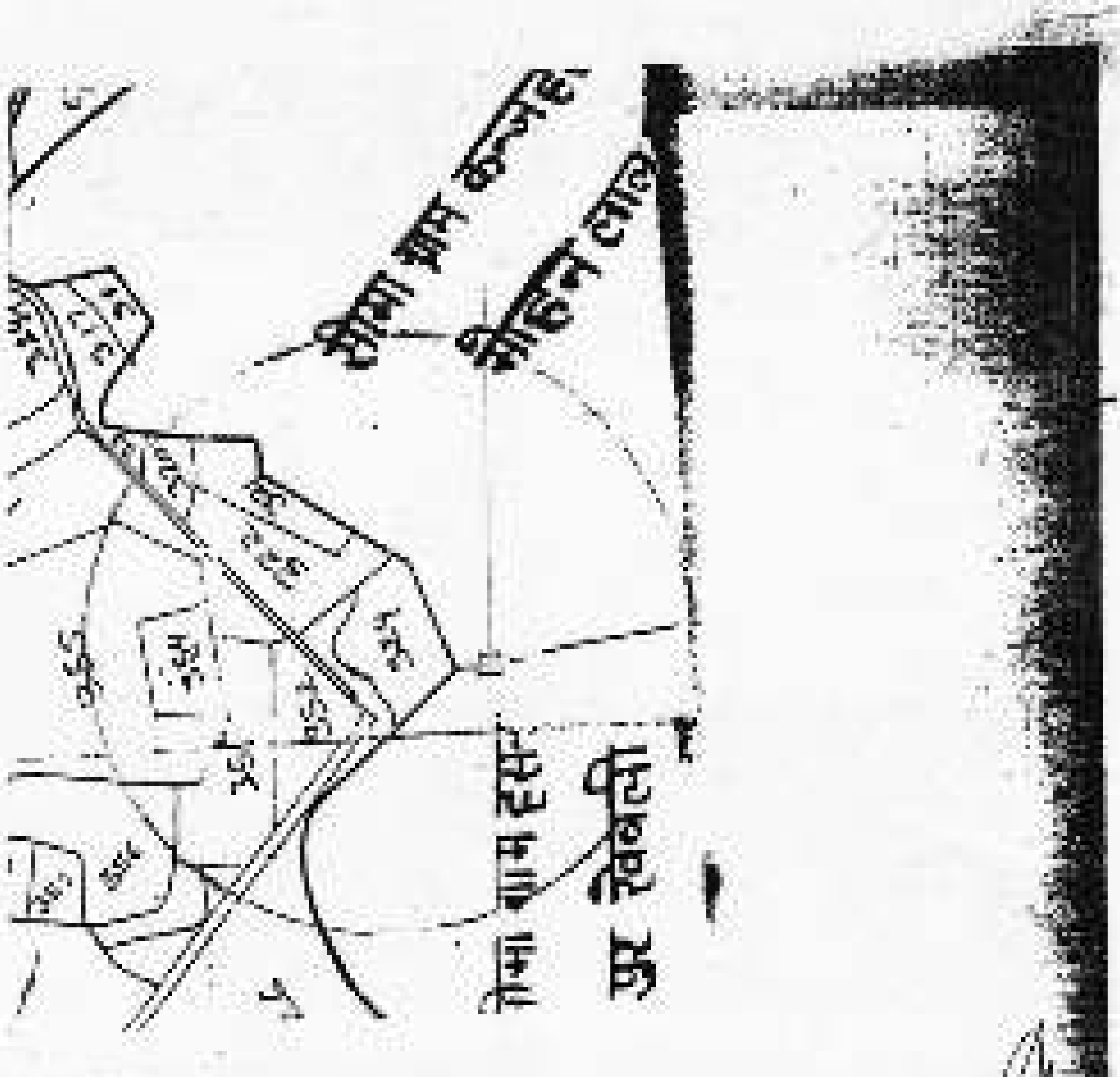

नक्शा नज़री

ग्राम :- [illegible]

खसरा नं. :- [illegible]

क्रेता :- [illegible]

विक्रेता :- [illegible]

विक्रय सम्पत्ति के समीप स्थित अन्य सम्पत्तियों का विवरण

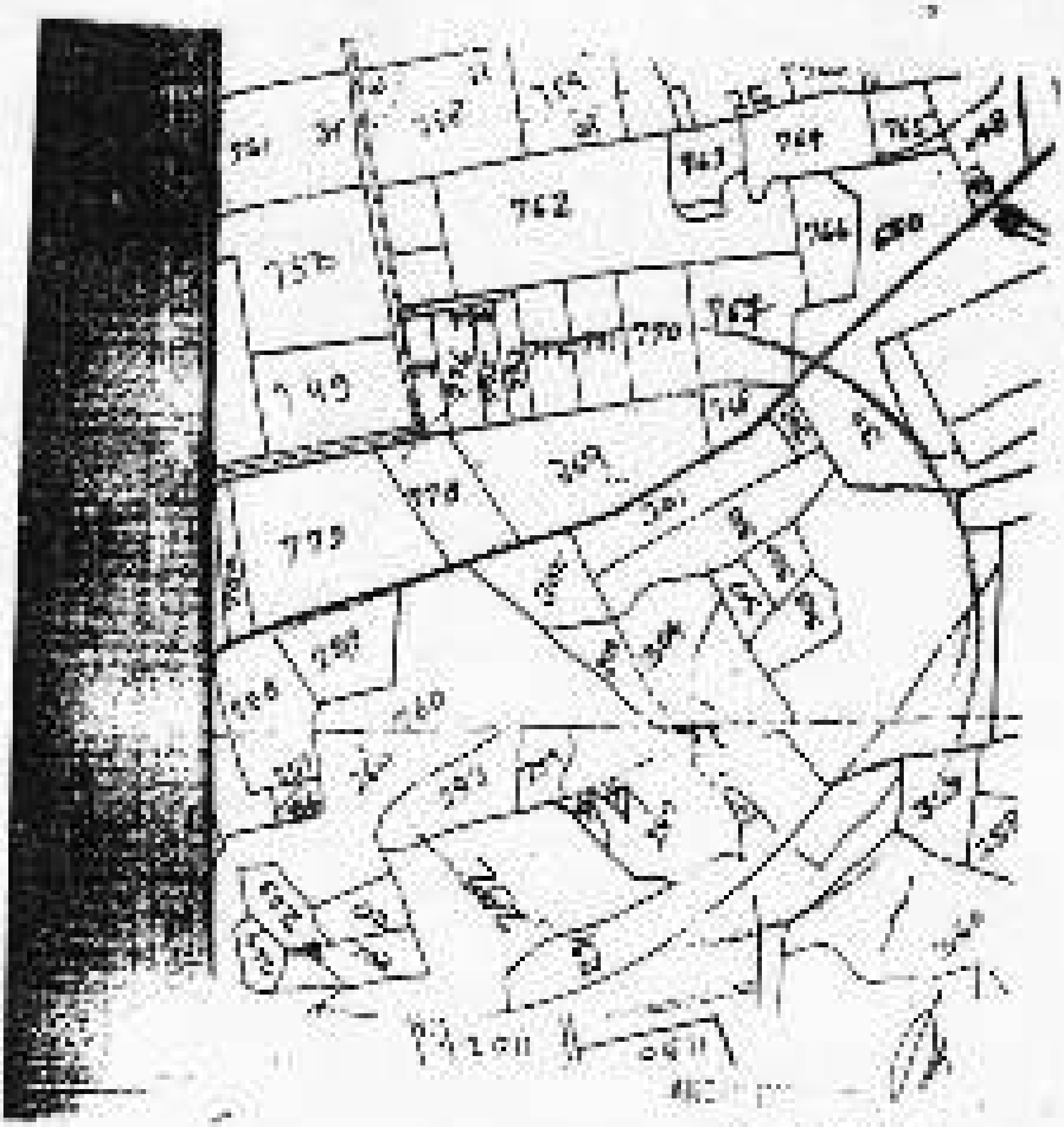

जिला - पुरी

ग्राम :- कुतुबनगर [illegible]

खसरा नं. :- १९०, ११४, ३०४, २२४

तहसील :- [illegible]

जिला :- [illegible]

विक्रय जमीन के समीप स्थित जमीन स्वामियों का विवरण

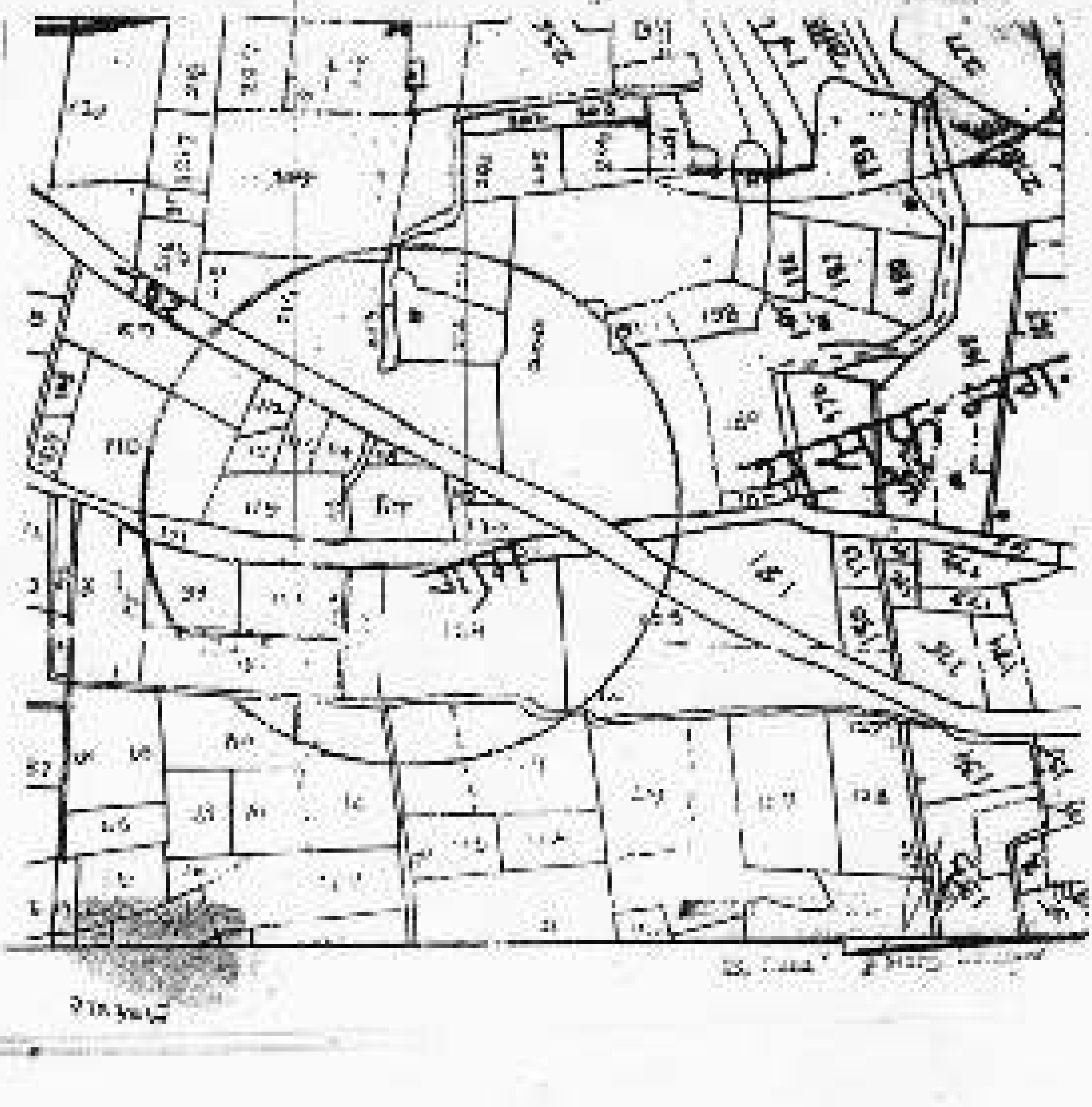

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

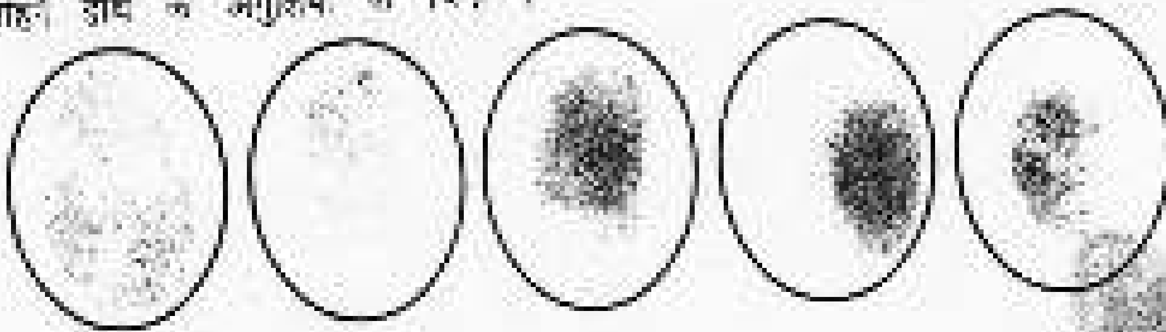

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

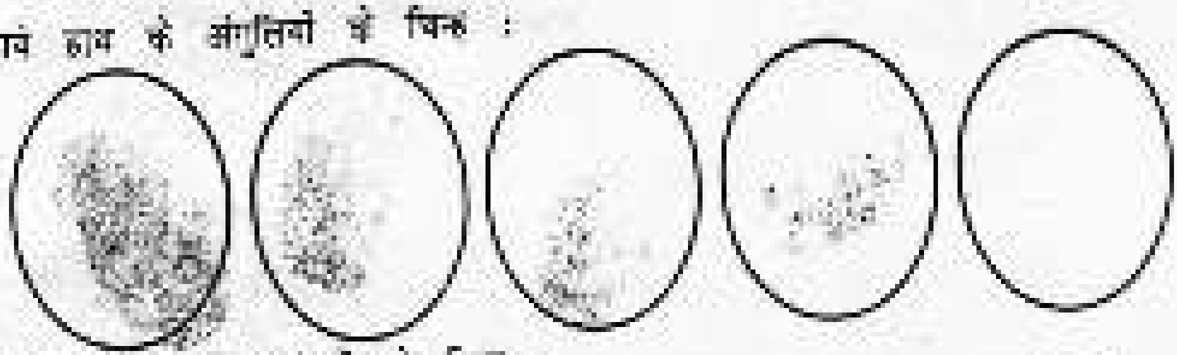

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

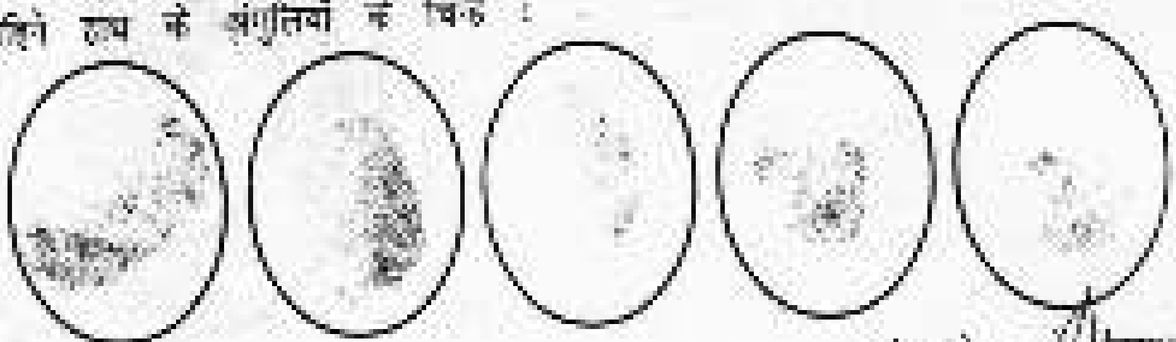

क्रेता/विक्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक [illegible] को
पुस्तक संख्या [illegible] खण्ड [illegible] के
पृष्ठ [illegible] पर क्रम संख्या [illegible]
रजिस्ट्री कृत किया गया [illegible]

उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ

कार्यालय उप निबन्धक (प्रथम)
सत्यमेव जयते
★ लखनऊ ★